सार-समाचार

कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां से मारपीट की

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा थाना इलाके में एक कलयुगी बेटे द्वारा अपनी बुजुर्ग मां से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी बेटे दीपू मेहरा को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि, इस दौरान जब वह मारपीट करने पहुंचा तब मौके पर मौजूद महिला ने इसका पूरा वीडियो बना लिया। इस मामले की जांच कर रहे एएसआई उदय सिंह का कहना है कि आरोपी को रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। उसे न्यायालय में भी पेश किया गया था। फिलहाल उसे जमानत मिल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी अपनी मां की पिटाई कर रहा है। वहां पर मौजूद छोटे भाई की पत्नी बीच-बचाव कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी नहीं माना और बुजुर्ग को लात-घूंसों और चप्पल से मारता रहा, घटनाक्रम 20 जुलाई का बताया जा रहा है। पड़ोसियों और परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी पुलिस टीम ने घर में घुसकर चोरी के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि 21 जुलाई को फरियादीया सबनम ने थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 18 जुलाई की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा घर में घुसकर नकदी व जेवरात चोरी करके ले गया है। थानाधिकारी ने बताया कि फरियादीया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। थानाधिकारी ने बताया कि शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए किशोरपुरा निवासी रवि मिश्रा (40) को डिटेन कर पूछताछ के बाद मकान में चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से चोरी किया गया माल भी बरामद किया, आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में अनुसंधान जारी है।

आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला किया

कोटा, (निसं)। रामपुरा इलाके में आवारा कुत्तों ने सड़क पर खेल रही डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बच्ची अपने दादा के साथ सड़क पर खेल रही थी, तभी अचानक से आवारा कुत्तों का झुंड आया और बच्ची को मुंह में दबोच कर काफी दूर तक घसीटता ले गया। कुत्तों के हमले से बच्ची की पीठ पर घाव हो गये। बाद में दादा व अन्य लोगों की मदद से बच्ची को बचाकर उपचार के लिये निजी अस्पताल में ले जाया गया। मामला रामपुरा इलाके के गुलाबबाड़ी का बताया जा रहा है।

दुकानों का निरीक्षण किया

रामगंजमण्डी, (निसं)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित अपात्र परिवारों, व्यक्तियों को अपना नाम स्वेच्छा से पात्रता सूची से हटाये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा माह नवम्बर, 2024 से अभियान चलाया जा रहा है। कोटा जिले में प्रगति बहुत कम है। जिससे पात्र लाभार्थी उक्त योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है। सीडिंग व ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा हेतु उचित मूल्य दुकानदारों को प्रोत्साहित करने हेतु शुक्रवार को संदीप माथुर सहायक आयुक्त (द्वितीय) खाद्य विभाग कोटा द्वारा 24 जुलाई गुरुवार को रामगंजमण्डी में उचित मूल्य दुकानदारों की मीटिंग ली व दुकानों का निरीक्षण किया गया।

राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग एवं राष्ट्रीय ध्वज का वितरण

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने अवगत कराया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा दक्षिण विधानसभा के तीन राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया।

नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी के नेतृत्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनन्तपुरा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरा, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरएसी कॉलोनी के विद्यार्थियों को स्कूल बैग का वितरण किया गया एवं देशप्रेम की भावना से राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में लगभग 10 हजार स्कूल बैग वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर बच्चों से पढ़ाई, उनके सपनों, उनके खेल और जीवन की छोटी-मोटी बातों पर सवांद हुआ। बच्चों की शिक्षा और उनके सुखद भविष्य के लिए यह छोटा सा प्रयास बच्चों की मुस्कान में हमारे कार्य की सार्थकता दिखाता है। सभी विद्यार्थियों से मिलकर उन्हे भविष्य में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा पार्षद योगेन्द्र खींची, गोपाल राम मंडा, योगेश आहलुवालिया, पुष्पा कुमारी चौधरी, सभी तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक, भाजपा कार्यकर्ता राजेन्द्र खण्डेलवाल, सत्यनारायण विजय एवं कई समाजसेवी उपस्थित रहे।

कोटा दक्षिण विधानसभा के तीन राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया।

तीन किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित दो गिरफ्तार

- केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम की कार्यवाही

कोटा, (निसं)। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अकलेरा-झालावाड़ रोड़ पर तीन धार पुलिया के पास कार्यवाही करते हुए तीन किलों अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल से अकलेरा-झालावाड़ रोड पर तीन धार पुलिया के पास अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी के लिये जा रहे है। उक्त सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन), कोटा के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और टीम को रवाना किया गया। गठित टीम ने कड़ी निगरानी के बाद, संदिग्ध वाहन और उक्त व्यक्तियों की पहचान करने के बाद उन्हें रोक लिया मगर, संदिग्ध व्यक्तियों ने बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मौके पर मौजूद सीबीएन अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके वाहन की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान टीम ने कपड़े के थैले में रखी 3.112 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की। टीम ने कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, अवैध बरामद अफीम और मोटरसाइकिल को जब्त किया और एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच प्रकिया जारी है।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की।

'छबड़ा में खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए बनेगा स्टेडियम'

छबड़ा (निसं)। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी के प्रयासो से अब कस्बे में सुविधायुक्त व भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा। प्रथम चरण के कार्यों के लिए निविदा भी जारी कर दी हैं।

कार्यवाहक ईओ यादवेंद्र यादव ने बताया कि हा स्कूल के खेल मैदान को खेल के लिए विकसित करने के लिए एसडीएम रामसिंह गुर्जर व पालिका टीम के सहयोग से डीपीआर बनवाकर नगर निगम कोटा उत्तर के अधिक्षण अभियंता से तकनीकी अभिशंषा प्राप्त करने के उपरांत स्टेडियम डवलपमेंट कार्य की फस्ट फेज की निविदा जारी कर दी गई है।

पहले चरण मे यह होगे कार्य:- ईओ यादव के अनुसार पहले चरण मे ला टिंग से संबन्धित कार्य, मॉडर्न टॉयलेट, फुटपाथ चौडा करण, 100 फिट ऊंचा का तिरंगा सहित अन्य निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। उक्त कार्य नगर पालिका द्वारा करवाये जाएंगे। उन्होने बताया कि स्टेडियम के बनने से छबडा व तहसील क्षेत्र के युवाओ व खिलाडियो की प्रतिभाओं को पटल पर लाकर उभारा जा सकेगा, जो आगे चलकर छबडा का नाम देश, प्रदेश में रोशन कर सकेंगे।

लम्बे अरसे से की जा रही थी मांग:- खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने के लिए लम्बे अरसे से मांग की जा रही थी। लेकिन यह मांग अब पूरी होती दिख रही हैं। स्टेडियम के बनने से कस्बे सहित ग्रामीण अंचल के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में खेलों के लिए कोई भी पर्याप्त जगह न होने के कारण युवा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए पर्याप्त सुविधा के अभाव में सही मंच पर नहीं पहुंच पाते हैं। जाहिर है कि जब युवाओं को खेलने के लिए पर्याप्त सुविधा मिलेगी तो यहां खेल रहे युवाओं को देखकर अन्य युवाओं में भी खेलों के प्रति रुचि बढेगी। खिलाड़ियो, खेल प्रेमियो व प्रबुद्धजनो आदि ने विधायक सिंघवी का आभार व्यक्त किया।

परिवार का सदस्य मानकर वृक्षों को सहेजें : दिलावर

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आह्वान पर प्रदेश में चलाए जा रहे हरयालो राजस्थान अभियान के तहत गुरूवार को नगर निगम कोटा दक्षिण और उत्तर की ओर से सघन वृक्षारोपण किया गया है।

इस अवसर पर वृक्षारोपण करने के बाद प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच वृक्षारोपण की महती आवश्यकता है। हम स्वयं को वृक्षा लगाने तक सीमित नहीं रखें बल्कि वृक्षों को अपने परिवार के सदस्य की तरह सहेजें। हाड़ौती उद्यान में पौधारोपण करते हुए उन्होंने कहा कि हरयाळो राजस्थान अभियान आज एक जन अभियान का स्वरूप ले चुका है। हम सभी "एक पेड़ मां के नाम" लगाते हुए प्रकृति के प्रति भी अपने उत्तर दायित्व पूरे कर रहे हैं। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि प्रकृति ने हमें अनेक अनुपम सौगातें दी हैं। लेकिन वर्तमान में प्रकृति का संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए हम पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझें और इसे अपनी दिन-प्रतिदिन की दिनचर्या का भाग बनाएं। कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल भारती ने कहा कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण हमें जीवन चक्र को संतुलित करने में भी मददगार है। स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के लिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग ही टिकाऊ विकास की कुंजी है। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग कर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। कोटा शहर को बनाएंगे हरा-भरा शहर नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशों के अनुरूप नगर निगम कोटा दक्षिण एवं उत्तर मिलकर कोटा को हरा-भरा बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इस मानसून के दौरान दोनों नगर निगमों ने करीब पांच लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए निगम अपने स्तर पर तो प्रयास कर ही रहे हैं।

स्व. सुंदरी मदनानी की पुण्यतिथि पर नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित

कोटा, (निसं)। सिंधु समाज कल्याण समिति द्वारा दादा नारायणदास मदनानी सेवा संस्थान कोटा के सहयोग से सुंदरी मदनानी की पुण्य तिथि पर निशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर सिंधु हॉस्पिटल में आयोजित किया गया।

सिंधु हॉस्पीटल के संरक्षक एवं संस्थान के अध्यक्ष किशोर मदनानी एवं सचिव प्रकाश वीर नाथानी ने बताया कि शिविर सिंधु हॉस्पिटल में 268 लोगों ने परामर्श एवं जांचों का लाभ लिया। शिविर में डॉ महेंद्र कुमार गुप्ता (नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ), डॉक्टर विनय ग्वालानी (अस्थि रोग विशेषज्ञ) डॉक्टर मुस्तफा बोहरा (जनरल फिजिशियन), डॉ. अब्दुल रब (जनरल सर्जन), डॉक्टर संगीता जैन (प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ), और डॉक्टर मनाल शेख (मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्सोलॉजिस्ट) अपनी सेवाएं निशुल्क दीं। हॉस्पिटल के अध्यक्ष अशोक झमटानी एवं सचिव निरंजन मेहबूबानी ने बताया इस शिविर में लिपिड प्रोफाईल, अस्थि घनत्व (बीएमडी), ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड स्पायरोमेट्री (दमा), न्यूरोपैथी (नसों की जांच) की जांचें निशुल्क की गई। साथ ही शिविर अवधि में होने वाले अन्य पैथोलॉजी जांचों पर 20 प्रतिशत की रियायत भी दी गई। शिविर में चयनित रोगीयों के ऑपरेशन रियायती दरों पर किए जायेंगे। शिविर में मुरली धर अलरेजा, राम मदनानी, अशोक शर्मा, विमल परयानी, शंकर अम्बानी, राकेश हरसिंघानी, संतोष करमचंदानी, रमेश आहुजा, जगदीश भागवानी, बसंत वलेचा, हरि प्रकाश पंजवानी, उमेश केसवानी, अर्जुन जेसिंघानी, सी.पी. भावनानी, सुनिल भाटिया आदि ने अपनी सेवाएं दी।

कोटा में सुंदरी मदनानी की पुण्यतिथि पर नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर सिंधु हॉस्पिटल में आयोजित किया गया है।

ट्रैक्टर चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने ट्रैक्टर चोरी के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही पुलिस टीम ने पूछताछ के बाद चोरी किये गये ट्रैक्टर को बरामद कर लिया। शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि 5 जुलाई को फरियादी भरतलाल ने नान्ता थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि वह नान्ता रिको एरिया में ईटों की फैक्ट्री में किराये के ट्रैक्टर-ट्रॉली से ईटों की सप्लाई करने का काम करता है। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि 3 जुलाई को उसके ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर को विजय एस्टेवा फैक्ट्री में खड़ा करके फैक्ट्री में बने कमरे पर चला गया और अगले दिन सुबह देखा तो ट्रैक्टर वहाँ नही था। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया।

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office, Gandhinagar, A Wing- 407 & 409,
"Aranya Bhawan", NearCh-3Circle, Sector-10a, Gandhi Nagar-382010
Email: lro.gandhingr-mefcc@gov.in
Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/488258/2024 Dated: 01/07/2025

To,
Principal Secretary(Forestand Environment),
Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,
VanikiPath, NearSecretariat
Jaipur-302005 (Rajasthan)

Subject: Proposal for non-forestry use of 0.79 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA for Baran Territorial Division in Forest Division, District BARAN (RAJASTHAN)

Sir/Madam,

This is in reference to the online proposal No. FP/RJ/ROAD/488258/2024 dated 17/07/2024 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section" 2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Office as per extant rules and regulation. After the examination, the undersigned directed toconvey the "In-Principle/Stage-1" approval of the Central Government under section 2 of the Van(SanrakshanEvamSamvardhan)Adhiniyam, 1980 forthe Proposalfornon-forestryuseof0.79 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA for Baran Territorial Division in Forest Division, District BARAN (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following conditions:

1. General Conditions.

S. No.	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency: Or Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land
1.3	Thenon-forestlandidentifieforraisingcompensatoryafforestation shallbetransferredand mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance
1.4	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notifiedbythe State GovernmentasRFunder Section-4orPFunderSection-29oftheIndianForest 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period tothe Act, Central Government for information and record
1.5	ThelandidentifiedforthepurposeofCAshallbeclearlydepictedona Surveyofindiatoposheetof 1:50,000 scale
1.6	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.7	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.8	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.9	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.10	TheUserAgencyshallobtaintheEnvironmentClearanceasperth eprovisionsoftheEnvironmental (Protection) Act, 1986, if required
1.11	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.12	The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.13	No labour camp shall be established on the forest land
1.14	TheUserAgencyshallprovidefuelspreferablyalternatefu elstothelabourersandthestaffworking at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.15	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.16	Thelavoutplanoftheproposalshallnotbechangedwithouttheprior approvaloftheCentral Government
1.17	Theforestlandproposedtobedivertedshallundernocircumstances betrans ferredtoanyother agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.18	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.19	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision ofthe State Forest Department
1.20	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.21	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project
1.22	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and Ist July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.23	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.24	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.25	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
1.26	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015
1.27	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.0 ha DFL.. Compartment/ Khasra/Survey No. 1457, Village-Kishanganj, Tehsil-Kishanganj, District-Baran of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided
1.28	User agency shall restrict the felling of trees to 11 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department
1.29	If the proposed area is part/out side of any Wildlife Sanctuary/National Park, user Agency shall be obtained Wildlife Clearance from competent authority as per the provisions of the extant, rules and regulation. If required
2.1	The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and centralverge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side ofthe road before final clearance.
2.2	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.
2.3	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
2.4	Theuseragencywillprovideretainingwallsbreastwallsanddrainage asperrequirementto make the slope stable.
2.5	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report;
2.6	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/ canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals

3. Specific Conditions

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will beconsideredforfinalapprovalundersection'2'ofthe Van(SanrakshanEvam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. TheUser Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar, Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further.itmayalsobenotedthatthisIn-principle/Stage-lapprovalshallbevalidfora periodof2yearsfromthedateof issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years.

Your's faithfully
(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer/HeadofDepartment
Regional Office, Gandhinagar
MoEF&CC, Govt of India

DIPR/C/10356/2025

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3504 दिनांक:-23.7.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री रिंकू मीणा आत्मज श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम बडोदिया तह. छबड़ा जिला (बारां)	152	वैभव लक्ष्मी नगर आदर्श विद्या मंदिर रोड छबड़ा	12	20x40=800 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रय/2025/2071 **विज्ञप्ति** दिनांक 18.07.25

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना सीए नगर (शंभूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना) आवासीय का भूखण्ड/आवास संख्या 81 का आवंटन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 29.05.2023 को श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश कुमार अग्रवाल को आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्री अरिहन्त धारीवाल पुत्र श्री राकेश कुमार धारीवाल द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस रजिस्ट्री की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 81 योजना सीए नगर (शंभूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना) आवासीय की रजिस्ट्री स्वीकृति श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश कुमार अग्रवाल जर्ये मुख्तारआम श्री अरिहन्त धारीवाल पुत्र श्री राकेश कुमार धारीवाल के नाम जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/764 **विज्ञप्ति** दिनांक:-24.07.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना लक्ष्मण विहार-II खसरा नं. 375 व 375/450 मि. में स्थित भूखंड संख्या 80 आवेदक/आवेदिका श्री कृष्ण कुमार पारेता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पारेता निवासी मुक्ति मार्ग नयापुरा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 4267 दिनांक 22.07.2006 को जयसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2011 को जर्ये मुख्तारआम विनोद कुमार गोयल पुत्र श्री जैन प्रकाश गोयल द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री कृष्ण कुमार पारेता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पारेता के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या जे-36 (बी), औ.क्षे. इन्द्रप्रस्थ, कोटा क्षेत्रफल 200.00 व.मी. का आवंटन दिनांक 11.12.2001 को मैसर्स कोटा इन्जिनियरिंग वर्क्स प्रो. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री स्वर्ण सिंह के पक्ष में किया गया। जिसकी लीजडीड का निष्पादन दिनांक 08.02.2002 को करवाया गया। उक्त भूखण्ड के प्रोपराईटर श्री मोहन सिंह थे, जिनका देहान्त दिनांक 21.01.2024 को हो चुका है। मृतक आवंटी श्री मोहन सिंह से उनके पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह के पक्ष में दिनांक 23.10.2020 को निष्पादित पंजीकृत वसीयत नामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र दस्तावेजों को पेश करते हुए इस भूखण्ड संख्या जे-36 (बी), औ.क्षे. इन्द्रप्रस्थ, कोटा के लीजहोल्ड राईट्स श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी रणजीत कॉलोनी, गुरुद्वारे के पास, सोगरिया कोटा जंक्शन, कोटा द्वारा स्वयं के पक्ष में हस्तान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया है।

इस भूखण्ड संख्या जे-36 (बी), औ.क्षे. इन्द्रप्रस्थ, कोटा के लीजहोल्ड राईट्स श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा रीको कार्यालय में पेश दस्तावेज यथा दिनांक 23.10.2020 को निष्पादित पंजीकृत वसीयत नामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र आदि दस्तावेजों के आधार पर श्री राजेन्द्र सिंह के पक्ष में हस्तान्तरण की अग्रिम कार्यवाही अमल में लाये जाने के पूर्व इस आम सूचना के जरिये सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति / फर्म अथवा सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थान अथवा वित्तीय संस्थान को भूखण्ड संख्या जे-36 (बी), औ.क्षे. इन्द्रप्रस्थ, कोटा के हस्तान्तरण के संबंध में किसी प्रकार की यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय दस्तावेजी सबूत के साथ व्यक्तिश: उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। कृपया विदित रहे कि दी गई मियाद निकलने के पश्चात् प्राप्त हुई किसी भी शिकायत / आपत्ति पर कोई गौर नही फरमाया जायेगा और नियमानुसार प्राप्त उपरोक्त अंकित आवेदन पत्र /